



GOVERNMENT OF RAJASTHAN
MAA JALPA DEVI GOVERNMENT COLLEGE,
TARANAGAR (CHURU) RAJASTHAN 331304

Website: hte.rajasthan.gov.in/college/gctaranagar Email: mjdtaranagar@gmail.com Ph. No:-01561-241607

CM Corona Relief Fund

Introduction:-

The pandemic caused severe social and economic disruption around the world, including the largest global recession since the Great Depression. Rajasthan Chief Minister starts an initiative “Chief Minister’s Relief Fund (CMRF)” to provide immediate relief to people under distress. Individuals facing critical medical conditions often find support through the CMRF. The fund assists in covering medical expenses, surgeries, and other healthcare-related costs, ensuring that no one is deprived of essential treatment due to financial constraints. College also participate an important role in CMRF during pandemic. All staff members of college are donate one day salary for covid pandemic in CM Corona Relief Fund.

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक : एफ8 (रक्तदान शिविर) अकाद/16/523 दिनांक : 27-9-18

आ दे श

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर 1 अक्टूबर, 2018 को स्वीडिश रक्तदान शिविर आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :-

क्र.सं	क्रियान्विति बिन्दु	क्रियान्विति स्तर	निर्धारित समय सीमा
1	राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालयों द्वारा रक्तदान दिवस (2 अक्टूबर) पर शिविर आयोजित करने हेतु निर्धारित समयानुसार अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर
2	रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जावे, जिसमें जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय का प्राचार्य सदस्य सचिव हो तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समिति के सदस्य हों। यह समिति जिले में रक्तदान शिविर के सफल आयोजन को सुनिश्चित करेगी। इस समिति द्वारा रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु एक्शन प्लान तैयार किया जावे। यह समिति रक्तदान शिविरों के आयोजन के संबंध में अपेक्षित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी। इस कमेटी की प्रथम बैठक दिनांक 28.09.2018 से पूर्व कर ली जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर
3	उपखण्ड स्तर पर रक्तदान शिविर के आयोजन हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावे। जिसमें उपखण्ड स्तर के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव के रूप में रहेंगे एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसके सदस्य होंगे। यह समिति जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा बनाये गये एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य करेगी।	समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर
4	जिला स्तर पर जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संभाग स्तर पर सहायक निदेशक कमश: जिले/ संभाग के अन्य महाविद्यालयों हेतु समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।	समस्त सहायक निदेशक, समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर
5	आयुक्तालय-उच्च शिक्षा, की वेबसाईट पर उपलब्ध संकल्प पत्र के प्रारूप एवं रक्तदान के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी ब्रोशर के अनुसार रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर
6	जागरूकता सप्ताह : राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में दिनांक 27.9.2018 से 1.10.2018 तक रक्तदान के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक किया जावे तथा चिकित्सा विभाग द्वारा रक्तदान करने के संबंध जारी ब्रोशर के अनुसार रक्तदान से होने वाले लाभों की जानकारी प्रदान की जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	दिनांक 28 सितम्बर से 1 अक्टूबर
7	समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा रक्तदाताओं से संकल्प पत्र भरवाने का कार्य दिनांक 28 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक किया जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	दिनांक 28 से 30 सितम्बर
8	सभी रक्तदाताओं की डिजिटल डायरेक्ट्री तैयार की जानी है तथा रक्तदाताओं का डोनर कार्ड बनाये जाने है। इस संबंध	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य	12 अक्टूबर

	में स्थानीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं पीएमओ से सम्पर्क कर यह कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। संकल्प पत्र विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अधिकारी/प्राचार्यों द्वारा ऑफ लाईन भी भरवायें।	राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	तक
9	रक्तदाता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं ब्लड बैंक के प्रभारी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जावे, एवं महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों को यह अवगत कराया जायें कि उनके द्वारा लगातार 3 सत्र तक राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंको में स्वेच्छिक रक्तदान करने पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनको महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश में एक प्रतिशत बोनस अंको का लाभ देय होगा तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा रक्तदाता को डोनर कार्ड भी उपलब्ध कराया जायेगा।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	12 अक्टूबर तक
10	राज्य के समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में रक्तदान दिवस (2 अक्टूबर) पर शिविर आयोजित करने के संबंध में एक रक्तदान समिति का गठन किया जावे। जिसमें एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउट गाइड अधिकारी एवं अन्य व्याख्याता सदस्य हों एवं समिति का अध्यक्ष संबंधित विश्वविद्यालय का कुलसचिव/कॉर्डिनेटर हो।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	28 सितम्बर तक
11	सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से रक्तदाताओं के संकल्प पत्रों की संख्या विश्वविद्यालयवार/महाविद्यालयवार एकत्र कर सीएमएचओ/पीएमओ को उपलब्ध करवायी जाये।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	दिनांक 1 अक्टूबर तक
12	क्लस्टर/समूह के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों के रक्तदाता निर्देशानुसार समीपस्थ शिविर में रक्तदान करेंगे। इस हेतु संबंधित महाविद्यालयों में गठित रक्तदान समिति इनकी पहुंच सुनिश्चित करेगी एवं समिति सदस्य स्वयं भी शिविर में उपस्थित रहेंगे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय, राजस्थान	
13	रक्तदान हेतु संकल्पकर्ताओं को विश्वविद्यालयवार/महाविद्यालयवार 10-10 के ग्रुप बना के अलग-अलग समय पर दिया जावे ताकि एक साथ रक्तदान शिविर पर रक्तदाताओं की भीड़ एकत्र ना हो।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	
14	रक्तदान शिविर स्थल का आयोजन बड़े हॉल/कक्ष में किया जावे, जिसका फर्श पक्का तथा साफ सुथरा हो एवं रोशनी व हवा की उचित व्यवस्था हेतु बिजली एवं पंखों की समुचित व्यवस्था की जावे। प्रत्येक 10 रक्तदाताओं पर 1 बेड एक गद्दा व साफ चद्दर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। रक्तदान शिविर से एक दिन पूर्व एवं शिविर के दिन फिनाईल का पोछा आवश्यक रूप से लगवाया जावे।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	
15	पीने के पानी हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जावे। रक्तदाताओं को रक्तदान से पहले पानी व दो केले एवं रक्तदान के पश्चात कॉफी/दूध/फ्रूट ज्यूस पैकेटस/ग्लूकोज बिस्किट उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जावे। इसके लिए रुपये 25/- प्रति रक्तदाता तक पुर्नभरण स्थानीय ब्लड बैंक द्वारा किया जावेगा। पुर्नभरण हेतु प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय द्वारा शिविर की फोटो, मेडिकल ऑफिसर के प्रमाण पत्र की प्रति एवं प्राचार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शेष अन्य व्यय संबंधित संस्थान द्वारा किया जायेगा।	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान	
16	रक्तदान दिवस को रक्तदान शिविर में रक्तदान हेतु विशेष रूप से एनसीसी/एनएसएस/स्काउट गाइड के स्वयंसेवक	समस्त विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, प्राचार्य	



जारी करने वाली शाखा
Issuing Branch: TARANAGAR
कोड नं. / CODE No. 31143
Tel No. 01561-240233

मांगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: QAGFIS
Sr. No. 460207

2	6	1	0	2	0	1	9
D	D	M	M	Y	Y		

रुपये **RUPEES** पर CHIEF MINISTER DISTRESS RELIF FUND THIRUVANATHAPURAM KERALA*

या इनके आदेश पर

ON DEMAND PAY

Four Thousand Nine Hundred and Seventy Only

अदा करें ₹

OR ORDER

4970.00

IOI 000501265130
Name of Applicant

Key QAGFIS Sr. No. 460207
MAN JALPADEVI GOVT COLLEGE

AMOUNT BELOW 4971(4/4)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

₹ 1,00,000- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,00,000- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 माहों के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: CCPC, THIRUVANANTHAPURAM

कोड नं. / CODE No. 70578

⑈ 265130 ⑈ 0000020001: 000501 ⑈ 16

10-2017

MANIPAL TECHNOLOGIES LIMITED, KANNUR, KERALA, INDIA

e.B.P.M. 124
20/4/20

Government Of Rajasthan		Month/Year: March/2020
Salary Bill(Regular (Outer Sheet))		Department Code : 15
Invoice No : 28201683	Department Name : College Education Department	OfficeID: 11180
Bill Date: 05/04/2020		DDOCODE: 11180
TAN No : JPRM03805E		Demand No: 24
Head: 2202-03-103-13-01/SF/V	Contingency Head: SF: 777614.00 CA: 0.00 NA: 0.00	Object Head: 01

Treasury/Sub Treasury Officer, TARANAGAR
 Order to pay ₹ 524948.00 as per claim contained in this bill. Sign of Clerk Sign of Jr.ACC/AAO-III Sign (With Seal) of DDO

Sign (With Seal)/e-Sign/ Digital ESIGN of DDO (9414357667)

DDO Code 11180

जातपादेवी राज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 तारनगर, जिला-पूर
 DDO Code 11180

कार्यालय अध्यक्ष
 (आयुक्त एवं निवृत्त अधिकारी)
 जातपादेवी राज, स्नातकोत्तर महाविद्यालय
 तारनगर, जिला-पूर
 DDO Code 11180

Sign (With Seal)/e-Sign/ Digital ESIGN of DDO (9414357667)

Allowance(s)		Deduction(s)		Treasury Voucher	
Sl. No	Payid	Amount	Deduction Name	Payid	Amount
	104	100472.00	RPMF	209	2400.00
	109	150.00	UC	210	766.00
	100	629714.00	SIP	217	1300.00
	107	47278.00	ECPenF	261	49974.00
			CM Corona Relief	292	198226.00
Amount :		₹777614.00	Total Deduction:	₹252666.00	
Net Amount :		₹524948.00			
Net Amount (In Words) :		FIVE LAKH TWENTY FOUR THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY EIGHT ONLY			
		Auditor		AAO-III Treasury/Sub Treasury Officer ESign For Accountant General Office	
		Admitted(₹).		Objected(₹)	
		Auditor		Supdt. Gaz.officer	

Government of Rajasthan										Rule 150(1)
Salary Bill(Regular (Inner Sheet))										
201683							Month/Year : March/2020			
Permanent/Temporary establishment of : PRINCIPAL,GOVT.COLLEGE,TARANAGAR							Office ID : 11180			
PRINCIPAL,GOVT.COLLEGE,TARANAGAR							DDO Code : 11180			
Bill Date : 05/04/2020							Demand No : 24		Object Head : 01	
02-03-103-13-01/SF/Voted			SF: 777614.00		CA : 0.00		NA: 0.00		TAN NO. : JPRM03805E	
No.	Name Designation EmployeeID Nominee Name(s) Date of Death (only where Payment is made to Nominee) Bank A/C.No. (Nominee A/C) Aadhar No.	---(Pay Allowance)---			Gross Amount	---(Pay Deduction)---		Sum Of Deduction	Net Total	
0	SATYAWATI सहायक RJCR200212000881 51059746609 (0)	Basic HRA	71565.00 5725.00	DA 12166.00		RPMF 800.00	CM Corona Relief 23855.00		89456.00 24655.00 64801.00	
1	HANSRAJ PARIHAR सहायक आचार्य RJCR200812028925 61054395105 (0)	Basic HRA	38661.00 3093.00	DA 6572.00		ECPenF 4523.00	CM Corona Relief 12887.00		48326.00 17410.00 30916.00	
	DEEPENDRA SOLANKI सहायक आचार्य RJJ200823050235 61009267536 (0)	Basic HRA	38661.00 3093.00	DA 6572.00		ECPenF 4523.00	CM Corona Relief 12887.00		48326.00 17410.00 30916.00	

Reduction Not Deduct from Gross Amount.
Deductions related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for it.
Rajasthan State Unit (<http://paymanager.raj.nic.in>) Group Name : NonPlan GpNp

Forward Date & Time: 06/04/2020 17:04 PM
Print Date & Time : 06/04/2020 17:04 PM

No.	Name Designation EmployeeID Nominee Name(s) Date of Death (only where Payment is made to Nominee) Bank A/C.No. (Nominee A/C) Aadhar No.	---(Pay Allowance)---			Gross Amount	---(Pay Deduction)---		Sum Of Deduction	Net Total
2	VIRENDRA SINGH MANTH सहायक आचार्य RJCR201112021585 51089636409 (0)	Basic HRA	87968.00 7037.00	DA 14955.00		ECPenF 10292.00	CM Corona Relief 29323.00		109960.00 39615.00 70345.00
3	PRASHANT VIR SINGH सहायक आचार्य RJCR201112021597 51052045645 (0)	Basic HRA	80516.00 6441.00	DA 13688.00		ECPenF 9420.00	CM Corona Relief 26839.00		100645.00 36259.00 64386.00
4	RANJEET SINGH BUDANIA सहायक आचार्य RJCR201212000795 61090776345 (0)	Basic HRA	31403.00 2512.00	DA 5339.00		ECPenF 3674.00	CM Corona Relief 10468.00		39254.00 14142.00 25112.00
5	KALPANA सहायक आचार्य RJJO201624032241 61337515232(0)	Basic HRA	22065.00 1765.00	DA 3751.00		ECPenF 2581.00	CM Corona Relief 7355.00		27581.00 9936.00 17645.00
6	NAVNEET DHAWAN सहायक आचार्य RJAL201102022617 20151097737 (0)	Basic HRA	73694.00 5895.00	DA 12528.00		ECPenF 8622.00	CM Corona Relief 24565.00		92117.00 33187.00 58930.00

Reduction Not Deduct from Gross Amount.
Deductions related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for it.
Rajasthan State Unit (<http://paymanager.raj.nic.in>) Group Name : NonPlan GpNp

Forward Date & Time: 06/04/2020 17:04 PM
Print Date & Time : 06/04/2020 17:04 PM

Name Designation EmployeeID Nominee Name(s) Date of Death (only where Payment is made to Nominee) Bank A/C.No. (Nominee A/C) Aadhar No.	[Pay Allowance]	Gross Amount	[Pay Deduction]	Sum Of Deduction	Net Total
CHHOTU RAM सहायक आचार्य RJCR201912010101 10290100013367(0)	Basic 19355.00	19355.00	ECPenF 1935.00 CM Corona Relief 6452.00	8387.00	10968.00
LOONKARAN VERMA सहायक सहायिका/डीएस -I RJCR198412016700 51084960702(0)	Basic 39968.00 DA 6795.00 HRA 3197.00	49960.00	RPMF 800.00 CM Corona Relief 7994.00	8794.00	41166.00
SHIV KUMAR सहायक सहायिका/डीएस-1 RJCR201212002353 61158993844 (0)	Basic 21100.00 DA 3587.00 HRA 1688.00 Wash Allo. 150.00	26525.00	LIC 766.00 SIP 1300.00 ECPenF 2469.00 CM Corona Relief 681.00	5216.00	21309.00
MANGAL RAM MEENA सहायक आचार्य RJCR201812045552 51104809458(0)	Basic 19355.00	19355.00	ECPenF 1935.00 CM Corona Relief 6452.00	8387.00	10968.00
KAMAL KUMAR MISHRA सहायक आचार्य RJAL199202016964 51100091825 (0)	Basic 85403.00 DA 14519.00 HRA 6832.00	106754.00	RPMF 800.00 CM Corona Relief 28468.00	29268.00	77486.00
Net: ₹777614.00		Deduction Amount : ₹252666.00		Net Amount : ₹524948.00	
ords : FIVE LAKH TWENTY FOUR THOUSAND NINE HUNDRED FOURTY EIGHT ONLY					
Deduction Not Deduct from Gross Amount. Details related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it. Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in)			Forward Date & Time: 06/04/2020 17:04 PM Print Date & Time : 06/04/2020 17:04 PM		

Page No. 4 of 4

I have personally examined and satisfied myself about the genuineness of claim that the pay and allowance of the employee(s) included in this pay bill are strictly in accordance with the rules and regulations of the Government of Rajasthan and that the pay and allowance of the employee(s) are entitled to such pay and allowance.

I have also verified that no superior service has been absent either on other duty or suspension or with or without leave (except on Casual Leave) during the month of March/2020. The absentee statement accompanies the bill, this certificate should be struck out.

No leave has been granted until by reference to the applicant's service book leave account and to the leave rules applicable to him. I had satisfied myself that it was admissible and leave account (s) under my attestation.

I have also verified that the absentee statement has been checked and verified.

I have also verified that no person, for whom House Rent Allowance has been drawn in this bill has been in occupation of rent free government Quarters during the period for which the allowance has been drawn.


Information including Bank Account Details in this bill has been checked and verified.

I have carefully examined & verified the master data of the said claim.

This bill is generated / Scanned by: _____

Remarks (*) are to be printed in the bill of respective Pay Month only.

Remarks (*) are to be printed in the bill as per selection from dropdown menu according to the requirements defined under relevant rules.


 Sign (With Seal) of DDO
 (आह्वान एवं निवेदन अधिकारी)
 जयपुर जिला, राजस्थान सरकार
 जयपुर, जिला-पूरु
 DDO Code 11180

PayManager
IFMS

Thanks